

DICO

Regional Manager, RTICO, DIC, Alwar.

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड

इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

152

No. RM/Alwar/ 387

Dated : 13th May, 1987.

144

M/s Modi Champion Ltd.,
Near Saraf Paper Mill,
Delhi Road,
Alwar.

Sub: Allotment of additional land for setting up industry
at Matsya Industrial Area, Alwar.

Dear Sirs,

In reference to your application for allotment of additional land management of the Corporation is pleased to allot you land measuring 19,350 sq. mtrs(Khasra No. 327, 328 and 331) at Matsya Industrial Area, Alwar for setting up Spark Plug unit on the following terms and conditions :-

1. The allotment is made provisionally @ 25/- per sq. mtr. or the actual compensation (compensation as per award to be declared) plus 15% whichever is higher.
2. That you shall deposit in this office the economic rent of the land allotted to you @ Rs.37.50 per year for every 4000 sq.mtr. within 90 days from the date of issue of this order and in future at the beginning of each financial year in advance by 1st April of that year.
3. That you shall pay the balance 75% of Development Charges calculated provisionally at the rate of Rs.25/- per sq.mtr. and amounting to Rs.3,62,812.50 within 90 days of issue of this letter-

1. 75% Development Charges	- Rs. 3,62,812.50
2. Economic Rent for the year 1987-88	- Rs. 181.50
3. Site Plan Charges	- Rs. 30.00
Total	- Rs. 3,63,024.00

4. After depositing the amount within 90 days from the date of issue of this letter, you will take possession of land on the same day from our Asstt. Regional Manager. In case the possession is not taken it will be deemed to have been taken over by you with effect from the date of payment within the above referred period of 90 days. The construction on plot will have to be started by you within six months of taking possession described herein before and the production will have to be started within 2 years from the said date.
5. On deposition of the amount as above you will get the lease deed of the plot executed and get it registered at your cost with our Asstt. Regional Manager within 90 days from the issue of this letter.

- :- - 2 - :-

6. In case any extension of time limit is required for depositing rent, balance 75 percent development charges, signing and executing the lease deed, taking over possession of plot or any of it then application stating the cogent reasons, therefore, should reach the undersigned within time limit prescribed for each of those items Extension for payment of dues, if granted, would be on payment of interest decided by the Corporation from time which is 19% per annum presently.
 Such an application for extension may be rejected or accepted by the corporation on terms conditions it may consider fit.
7. In case there are any wells/trees structures, compound wall etc. on the plot, the cost of the same will be paid by you separately, as may be decided by the Corporation.
8. That you would install a dust controller in your industry to avoid dust nuisance in the area (applicable in case of dust producing industries).
9. That you shall contribute towards the expenditure on construction of drainage system for effluents of your industry in the desired proportion as may be decided by the Corporation.
10. The allotment is subject to condition that the effluent discharge will have to be pretreated to the satisfaction of State Water Pollution Board and you will obtain a no objection from them before starting the unit.
11. In case power/telephone line is passing through your plot the Corporation does not undertake any responsibility for its removal. You would be required to plan your construction accordingly leaving prescribed set backs.
12. Your registered office should be in Rajasthan.
13. You will plant at least 20 trees per 4000 sq.mtr. at your plot.
14. That you will employ at least one person, out of those persons whose land has been acquired by us, on our recommendation.
15. That in case the amount as stated at para 3 above is not paid, construction/production/not started within the period prescribed above or there is a breach in any of the conditions provided above the allotment would automatically be treated as cancelled and security money forfeited.

Thanking you,
 Yours faithfully,

(M. Verma)

Regional Manager.

Copy to :- 1.CM(IP&I), RIICOLtd., Jaipur with ref.to his urgent telegram No. IPI 1/4 Lands/ /87/732 dt. 5th May, 1987. (2) GM, DIC, Alwar
 (3) Manager, RFC, Alwar (4) ARM, RIICO, MIA, Alwar.

For Surbhi Resorts Private Limited

(M. Verma) Regional Manager.

7/8/

(155)

POSSESSION REPORT.

WE the following have taken over/ handed over physical possession of additional land allotted to M/s. Modi Champion Ltd. measuring 7 bigha 13 biswas comprising of Khasra Nos. 327, 328, 331 of village Goleta today the 7th day of August 1987 to the best of our satisfaction.

HANDED OVER BY:

(R.C. GUPTA)

ASSTT. SITE ENGINEER.

Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited,
M.I.A. Alwar.

TAKEN OVER BY:

(Y.P. GULATI)

GEN. MANAGER(WORKS.)

Modi Champion Limited
Alwar Delhi Road,
Alwar.

C.H.O 42

27/10/03

फार्म 'सी'

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, लि.

पटा समझौता



श्रीद्योगिक क्षेत्र

मासम
भूखण्ड संख्या नं 321, 328, 331

यह पटा समझौता आज, दिन 23 अक्टूबर 2003 को राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. जयपुर, जो कि एक निगमित निकाय है एवं भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिनक मार्ग, जयपुर—302005 में है (जिसे आज के बाद से पटे दार के नाम से पुकारा जायेगा एवं यह अभिव्यक्ति जब तक इसके अंश प्रतिकूल न हों, उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशियों के लिए ग्राह्य होंगे।)

प्रथम पक्ष एवं

श्री सुपुत्र उम्र
 निवासी इकहरे स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान
 के स्वामी हैं।

अधिवा

श्री सुपुत्र उम्र
 निवासी

पंजीकृत समझौता प्रतिष्ठान के भागीदार हैं



अथवा

५० एक प्रतिष्ठान है जो भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय मासम भारी सम्पद वित्तीय वित्तीय में है।

१८ - Community Center

New Friends Colony

New Delhi - ११००६५

अथवा

एक समिति है जो सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसे आज के बाद से पट्टाधारी पुकारा जायगा एवं इस अभिव्यक्ति से, यदि इसके अंश तथ्यों के प्रतिकूल न हों, इसके वारिस, निष्पादक, उत्तराधिकारी एवं अनुजप्त समनुदेशित, द्वितीय पक्ष के बीच तैयार किया गया प्रशासक वैष्ठ प्रतिनिधि एवं अनुजप्त समनुदेशित

जिसमें राजस्थान राज्य ने अपने पट्टेदार (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि.) को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की है एवं पट्टेदार ने (निगम उपरोक्त भूमि को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूखण्डों में विभाजित किया है) इनमें से प्रत्येक भूखण्ड समुचित पौर-प्रतिष्ठान एवं अन्य उपयुक्त संस्था द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण योजना एवं फैक्ट्री उपनियम के अनुसार उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगियों को आवंटित की जायेगी,

रेप. नं. ३२७.३२८.३३१ ने मासी चैम्पियन हिन्दू

और जिसमें भूखण्ड संल्या को, जिसे आज के बाद से के नाम से जाना जायेगा, पट्टेदार ने पट्टे पर देने की एवं पट्टाधारी ने पट्टे पर लेने की सहमति व्यक्त की है। इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार इस औद्योगिक क्षेत्र में अन्तर्गत पट्टाधारी के समुचित पौर-प्रतिष्ठान एवं अन्य उपयुक्त संस्था के द्वारा अनुमोदित डिजाइन और भवन निर्माण योजना के अनुसार उत्पादन के लिए एक औद्योगिक इकाई की स्थापना करेगा।

पट्टा समझौता का स्वरूप

D.C. - १८०२५०

१. इस सहमति एवं समझौते के अनुसार पट्टेदार पट्टाधारी के द्वारा वार्षिक आर्थिक किराये के रु.

१५ लाख रुपये प्रति वर्ष (अंके रु. १५५५००/-) मात्र की प्राप्ति की स्वीकृति देता है।

इसके अनुसार पूटटेदार भूखण्ड औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड संल्या ३२७.३२८.३३३ जिसका क्षेत्रफल १३५० एकड़ियाँ हो सकता है कुछ कम हो या अधिक, पट्टाधारी को सौंपता है। इस भूखण्ड की चौहदादी निम्नानुसार है :

उत्तर में Main Avenue - Delhi Road

दक्षिण में Cultivator Land.

पूर्व में Main Land of M/s Modi Champion Ltd

पश्चिम App. Road No 2 of RTICO MIA

और उपरोक्त भूखण्ड का सुस्पष्ट रेखाचित्र संलग्न योजना पत्रक में अनुचित्रित है तथा लाल निशान से "रोका हुआ" अंकित है। उपरोक्त भूखण्ड को आज से आवंटित जाना जाएगा जो अनुलग्नकों के साथ पट्टाधारी की १५.५.१९४७ से नियन्यावे वर्षों के लिए आवंटित किया जाता है, लेकिन निम्न अधिकार सदैव पट्टेदार एवं पट्टाधारी तथा समनुदेशितों के पास सुरक्षित रहेंगे :

(अ) पट्टेदार अथवा उसके समनुदेशित उत्तराधिकारियों के द्वारा आवश्यक समझा जाने पर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित भूमि के ऊपर या नीचे से जल निकास/आपूर्ति के लिए जल्दी/नालों या विद्युत तारों को लगाने का अधिकार

(ब्रा) आवंटित भूमि के परिसर या किसी अंश में जमीन ऊपर से नीचे पर या खनिज पर पूर्ण अधिकार

संग्रहीत
लिखा

FOR MODI CHAMPION LTD.
Y.P. GULATI
Manager (Works)





प्रत्येक वर्ष अप्रैल महोने के तीसवें दिने आधिकारिक किराए की अग्रिम वसूली का अधिकार पट्टेदार के लिए अनुमति दी जाती है। निगम के पास प्रत्येक पांच वर्ष में आधिकारिक किराये की दर के परिशोधन का अधिकार अनुमति दी जाती है। इसके साथ सुविधि के किराये की दर में बढ़ोत्तरी हर परिशोधन के समय, उससे ठीक पहले अनुमति दी जाती है। अनुमति के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। किराये की प्रमाणित जो निगम के द्वारा निर्धारित की जायेगी वह आवंटी के लिए अन्तिम निरणायक एवं बंधनकारी होगी और इसे कानून के किसी भी कच्चहरी में या किसी अन्य रूप में पेश नहीं किया जा सकेगा।

शर्त यह है कि यदि पट्टाधारी ने राज्य सरकार या भारतीय आईडीओगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या अनुसूचित बैंकों से आवंटित परिसर एवं इस पर स्थित भवन एवं यन्त्रादि उपकरण के जमानत पर किसी प्रकार का विकास करणा ले रखा हो तो पट्टेदार का प्रथम दावा राज्य सरकार या भारतीय आईडीओगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम, आई.डी.बी.या आई.सी.आई.सी.आई., ए.ल.आई.सी.या अनुसूचित बैंक के दावे आगे गौण हो जायेगा। यदि राज्य सरकार या भारतीय आईडीओगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या अनुसूचित बैंक ने अपने बंधक प्रपत्र में कोई ऐसी विशेष धारा या शर्त रखी हो कि इनमें से किसी भी शर्त (पट्टा समझौता) की अवहेलना को बंधक शर्त की अवहेलना माना जायेगा।

आगे शर्त यह भी है कि उपरोक्त धारा उस आवंटित भूमि में स्थित निर्माणों पर लागू नहीं होगी जिसे निगम ने "किराया खरीद" आधार पर दिया हो। इस हालात में राज्य सरकार या भारतीय आईडीओगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या आई.डी.बी.आई.सी.आई.या ए.ल.आई.सी.या अनुसूचित बैंक के पक्ष में भूमि एवं भवन पर द्वितीय दावा एवं संयंत्र तथा यन्त्रादि पर प्रथम दावा उसके द्वारा लिए हुए किसी भी विकास करणा पर प्रस्तुत कर सकेगा।

पट्टाधारी का पट्टेदार के प्रति उत्तरदायित्व :


2. (अ) यह कि पट्टाधारी उन समस्त पौर कर, कर, प्रभार एवं हर प्रकार के वर्णित मूल्यांकन को वहन करेगा, अदा करेगा एवं खारिज करेगा जो उपरोक्त अवधि में आवंटित परिसर या उस पर निर्मित भवन के लिए भू-स्वामी या किरायेदार या अधिभोगी पर निर्धारित किया जायेगा, प्रभारित किया जायेगा या अधिरोपित किया जायेगा।

(आ) यह कि पट्टाधारी उन समस्त सेवा शुल्क, पथ अनुरक्षण प्रभार, पथ प्रकाशन शुल्क, वृक्ष संवर्धन शुल्क एवं दूसरे आनुषांगिक शुल्कों को वहन करेगा, अदा करेगा एवं खारिज करेगा जो आईडीओगिक क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उपरोक्त अवधि में पट्टेदार के द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रभारित किया जायेगा; उगाही की जायेगी या अधिरोपित किया जायेगा।

यह कि पट्टाधारी पौर प्रतिष्ठान या विद्यमान या संभाव्य अन्य अधिकृत संस्थाओं को आज्ञा मिलेगा एवं अधीनता स्वीकार करेगा तथा ये नियम ही क्षेत्र स्थित अचल सम्पत्ति पर भी लागू होंगे जहां तक उनका इस क्षेत्र में रहने वाले दूसरे निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा पर प्रभाव का सम्बन्ध है।

(ई) यह कि पट्टाधारी आवंटित परिसर में अभिन्यास योजना, उत्सेध एवं डिजाइन के अनुसार रचना कार्य करेगा और कार्यविधि ऐसी होगी जिसे पट्टेदार एवं उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरण निर्मित एवं मुद्रांक लिप में अनुमोदित करें। ये आईडीओगिक इकाइयाँ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, समस्त अधिवैश्वक (राज०) वृहिभवन जलदाय एवं निकास साधन एवं अन्य अनुलग्नकों से युक्त मौलिक कार्यकोशल के अनुरूप हों जैसा कि, भवन, नालियाँ, शौचालय एवं सीवर से इनको जोड़ने के सम्बन्ध से स्थानीय प्राधिकरण के नियम एवं उपनियम में वर्णित है। पट्टाधारी छः महीने की अवधि में इस प्रकार का रचना कार्य आरम्भ कर देगा एवं इन प्रस्तुतियों की तिथि से चौबीस महीनोंकी अवधि में या पट्टेदार की इच्छा से अवधि बढ़ाने की लिखित रूप में अनुमति प्राप्त कर बड़ाई गई अवधि में रचना कार्य पूर्ण कर उत्पादन के लिए तैयार कर देगा।

(उ) यह कि पट्टाधारी आवंटित परिसर एवं इस पर निर्मित भवन को हर समय अच्छी तरह से एवं



यह कि पट्टाधारी समय विशेष के दौरान आवंटित परिसर में पट्टेदार एवं स्थानीय प्राधिकरण की लिखित में पूर्वनुमति के बिना तथा तत्सम्बन्धित अनुमति शर्त एवं पट्टेदार तथा स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदित रेखाचित्र के बिना उक्त भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन जातों करेगा न ही करने की अनुमति देगा साथ ही आवंटित परिसर में न तो किसी नए भवन का निर्माण करेगा न ही निर्माण करने की अनुमति देगा और इस प्रकार की शर्त एवं रेखाचित्र की अवहेलना की स्थिति में पट्टेदार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से इस प्रकार का कार्य करने की सूचना पर तत्काल ही उपरोक्त अवहेलना को सुधारेगा। और यदि पट्टाधारी इस प्रकार की सूचना पाने के बाद एक कैलेण्डर महीने के अन्दर अवहेलना को सुधारने में उपेक्षा बरतेगा तो पट्टेदार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार की अवहेलना की पट्टाधारी के खंडों पर सुधार करवाये और पट्टाधारी एतद्वारा सहमत होगा कि जो खंड पट्टाधारी/स्थानीय पौर प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, इस हेतु निर्वाचित करेगा, उसे वह पट्टाधारी/स्थानीय प्राधिकरण को अदा करेगा और पट्टाधारी/स्थानीय प्राधिकरण, स्थिति जैसी भी हो, का निर्णय अन्तिम होगा।

(ए) यह कि पट्टाधारी पट्टेदार/स्थानीय प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुरूप आवंटित भूमि में बनाए जाने वाले भवन तक सरकारी सड़क/निगम की सड़क से उप-सड़क बनवायेगा तथा नाली के आरपार ढक्कन का निर्माण करेगा एवं इसके रख-रखाव की देखभाल करेगा।

(ऐ) यह कि पट्टाधारी इन नियमों एवं शर्तों को तथा पट्टेदार एवं स्थानीय पौर प्राधिकरण के द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले नियमों एवं शर्तों को मद्देनजर रखकर तथा लिखित रूप में पट्टेदार और स्थानीय पौर प्राधिकरण की पूर्वनुमति के बिना आवंटित परिसर में उपरोक्त औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा न तो स्वयं किसी प्रकार का आपत्तिजनक व्यापार या व्यवसाय करेगा न ही किसी अन्य को इस प्रकार का कार्य करने की अनुमति देगा तथा न तो किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए स्वयं उपयोग करेगा न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति देगा तथा आवंटित परिसर में अथवा इसके किसी हिस्से में न तो कोई ऐसा कार्य करेगा न करने की अनुमति देगा जो पट्टेदार या स्थानीय पौर प्राधिकरण या पड़ीस के परिसरों के मालिकों अथवा कबजेदारों के लिए क्षोभ (कंटक) क्षति, विरक्ति या असुविधा का कारण हो या इन्हें पैदा करे।

(ओ) यह कि पट्टाधारी पट्टेदार के बिना लिखित पूर्वनुमति के अपनी मर्जी से आवंटित परिसर या उसमें स्थित भवन या दोनों का हस्तांतरण नहीं करेगा, दर किरायेदारी पर नहीं देगा, त्यागेगा नहीं, बंधक नहीं रखेगा या किसी और को नहीं सौंपेगा और इस प्रकार के समस्त हस्तांतरण, औरों को सौंपना, त्याग, बंधक या दर किरायेदारी या दोनों ही इस समझौते में निहित नियम एवं शर्तों से बद्ध होंगे तथा इन सारे मामलों में पट्टेदार के प्रति उत्तरदायी होंगे और पट्टाधारी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पट्टेदार की अनुमति के बावजूद भी आवंटित परिसर को पूरे के अलावा अंशिक रूप में किसी और को नहीं सौंपेगा, त्याग नहीं करेगा, बंधक नहीं रखेगा, दर-किरायेदारी पर नहीं देगा, हस्तांतरण नहीं करेगा या अलग नहीं होगा या मीटर अथवा घेरों से या अन्य किसी तरीके से पुनर्विभाजित नहीं करेगा। इस भूमि पर पूर्व वर्णित योजनानुसार उद्योग की स्थापना हेतु पट्टाधारी इस आवंटित परिसर के आधार पर कठजा दिए बगैर इसके स्वामित्व को राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या आई.डी.बी.आई. या आई.सी.आई.सी.आई या एल.आई. सी या अनुसूचित बैंक से क्रहा प्राप्त करने के लिए या प्राप्त किए हुए क्रहण की खातिर बंधक रख सकेगा लेकिन उपरोक्त धारा 1 (इ) की दूसरी शर्त के मुताबिक यह पट्टेदार के पूर्व कार्यभार के अधीन होगा।

यह कि यदि कभी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या उपरोक्त अन्य कोई भी वित्तीय संस्था पट्टाधारी के द्वारा क्रहण अथवा क्रहणों को लेते समय किए गए किसी करार के मुताबिक बंधक रखे गये आवंटित परिसर को परिसम्पत्ति को लेने, बेचने, पट्टे पर देने या किसी अन्य को सौंपने का निर्णय करे या समय विशेष की किसी वसीयत के मुताबिक बेचने, पट्टे पर देने या अन्य को सौंपने की बात करे तो वह पट्टेदार एवं उपरोक्त वित्तीय संस्था अथवा संस्थाओं के बीच आपसी विचार के आधार पर ही होगा।

FOR MOD CHAMPION LTD.

Y.P. GULATI
General Manager (Works)





यह कि यदि स्वीकृति अवधि के दौरान उक्त परिसर का सौंपे जाने के कारण या मृत्यु के कारण या किसीनो कायेबाही के कारण या अन्य किसी कारण से समनुदेशन, उत्तराधिकार प्रदान या हस्तांतरण होता है तो पट्टेदार को एतद्वारा इस बात की अनुमति दी जाती है कि वह इस प्रकार के समनुदेशन की, उत्तराधिकार प्रदान या हस्तांतरण की तिथि से एक कलेण्डर महीने के अन्दर समनुदेशन की, उत्तराधिकार प्रदान की या हस्तांतरण की सूचना पट्टेदार को पाठ्यियों के नाम एवं समनुदेशन के समस्त वर्णन एवं तत्सम्बन्धित विवरण एवं प्रभाव के साथ और इसके साथ ही इस सूचना के साथ हिस्से गए समनुदेशन के सारे प्रमाण पत्र या वसीयत या प्रशासन पत्र, डिग्री, आदेश, प्रमाणिकता या दूसरे दस्तावेज जो इस प्रकार के समनुदेशन, उत्तराधिकार या हस्तांतरण को प्रभावित करें या प्रमाणित करें, प्रस्तुत करें और उपरोक्त दस्तावेज जो उक्त सूचना के साथ भेजे जायेंगे, पट्टेदार के कार्यालय में कम से कम सात दिनों तक रहेंगे और एतद्वारा इस नियम का प्रावधान किया जाता है कि इस नियम की अवहेलना किए जाने की स्थिति में पट्टेदार को अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना इस पट्टा समझा की अवहेलना का निर्णय करने का अधिकार होगा और नियम भंग के कारण पट्टाधारी को ₹ 500/- का जुर्माना भरना होगा।

(अ) यह कि पट्टाधारी करारनामे की अवधि के दौरान पट्टेदार के सदस्य, अधिकारी एवं सहायक को एवं उनके द्वारा नियुक्त कारीगर को एवं अन्य व्यक्तियों को निरीक्षण के हेतु समय-समय पर या हर अधिकतमोंके पर आवंटित परिसूर या उसमें बनके बालेभवन के अन्दर या ऊपर प्रवेश की अनुमति देगा।

(ब) यह कि पट्टाधारी आवंटित परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं बनाएगा (सिवाय भवन की नींव एवं भूमि को समतल बनाने के) न ही किसी पत्थर, स्टैण्ड, बजरी, भिट्टी या अन्य किसी भी वस्तु को हटायेगा।

(ग) यह कि पट्टाधारी पालतू मवेशी, कुत्ते, मुर्गी या अन्य किसी जीव-जन्तु के लिए पट्टेदार से तत्सम्बन्धित लिखित आदेश प्राप्त किए बग्रं या किसी भी प्रकार का तबेला, छप्पर या अन्य क्षेत्र निर्माण कार्य न तो करेगा न करने की अनुमति देगा।

(क) यदि आग, तूफान, बाढ़ या किसी सैनिक आक्रमण/विद्रोह या किसी बेकाबू भीड़ के कारण आवंटित परिसर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु का पूरा अथवा आंशिक नुकसान हो या वह स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर निर्माण कार्य के लिए अयोग्य हो जाय तो पट्टाधारी न तो अपने स्तर/अपनी इच्छा पर पट्टे का निर्माण करेगा न ही पट्टेदार को क्षतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार बनायेगा।

(ख) यह कि पट्टाधारी उपरोक्त परिसर के अधिग्रहण के दिन से अठारह कलेण्डर महीनों के अन्दर भवन का निर्माण पूर्ण करवा लेगा तथा भवन के साथ आवंटित परिसर को कार्य हेतु तैयार कर लेगा और उसे किसी भी स्थिति में समझौते की तारीख से चौबीस महीनों के अन्दर यह कार्य सम्पन्न कर लंगा होगा यदि पट्टेदार स्थिति को पट्टाधारी के नियंत्रण से बाहर समझकर अपनी इच्छा से समय में बढ़ातरी करे।

यह कि आवंटित भूखण्ड निगम को प्रत्यावर्तित हो जायेगा/जाएगे यदि उत्पादन आरम्भ करने/इकाई का परिवर्धन करने के लिए निर्धारित/वर्धित समय समाप्त हो जाता है।

(ग) यदि पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाधारी या उसके कारीगर या नौकर—

1. आवंटित भूमि में सन्निहित या समीपवर्ती किसी भवन अथवा किसी अन्य निर्माण के किसीनिम्नलिखित एवं अंश को नुकसान पहुंचाएगे अथवा नष्ट करेंगे,
2. किसी आधारभूत सुरंग अथवा दूसरी खाइयों के आवंटित परिसर में खुला या अनावृत रखेंगे

उपर्युक्त



3. नींव के पास कोई गड़डा खोदेंगे जिससे ऐसे किसी भवन को क्षति पहुँचेगी, या भवन नष्ट होगा तो पट्टाधारी को इस प्रकार से हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी जिसका निर्धारण पट्टेदार करेगा। पट्टेदार चाहे तो इस प्रकार के आदेश प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर पच (न्यायाधीश) के पास अपील (याचिका दायर) कर सकता है और यदि पट्टेदार ने ऐसा करना पसन्द किया तो वह पंच (न्यायाधीश) के फैसले को मानने के लिए बाध्य होगा।

(घ) यदि पट्टेदारी पंजीकृत सामेदारी में हो या बिना पंजीकृत पट्टेदारी में हो या कम्पनी हो या सहकारी समिति हो और इसे पुनर्गठित किया जाता हो अथवा इसका समाप्त किया जाता हो तो पट्टाधारी के उत्तराधिकारी अपने हित में इस प्रकार के पुनर्गठन अथवा समाप्त के 60 दिन के अन्दर पट्टेदार के साथ बन्धनकारी अनुबन्ध में आ जाए गे और पट्टा समझौता के समस्त शर्त, नियम, अनुबन्ध, प्रावधान एवं समझौतों को मानेंगे और निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। इसकी अवहेलना की स्थिति में पट्टेदार को समझौते के बारे में निर्णय करने का अधिकार होगा।

यदि आवंटित परिसर में स्थित उद्योग को राज्य सरकार या भारतीय ग्रोद्यौगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या किसी अन्य वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता दी गई हो तो इस धारा के अन्तर्गत वर्णित "निर्णय लेने का अधिकार" का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा तथा उपरोक्त वित्तीय संस्था इस बात का निर्णय करेगी कि वह बंधक परिसम्पत्ति को अपने कब्जे में ले ल या बेच दे या पट्टे पर दे दे या किसी को सौंप दे ऐसा वह/वे समझौते के द्वारा पट्टेदार से प्राप्त अधिकारों के आधार पर या समय विशेष के किसी कानून के द्वारा कर सकेंगे।

(इ) यदि पट्टेदारी पंजीकृत है अथवा बिना पंजीकृत सामेदारी में है अथवा कोई सहकारी समिति है तथा इसे विघटित कर दिया जाता है और इसके विघटन के साठ दिन के अन्दर हित को ध्यान में रखकर यदि उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है तो उस समझौते के निर्णय का अधिकार पट्टेदार को होगा। इन प्रस्तुतियों के आधार पर पाटियों के द्वारा आपस में निम्नलिखित सहमति की भी घोषणा की जाती है।

(अ) यदि कदाचित् पट्टेदार की निगाह में इस समझौते में वर्णित किसी भी नियम अथवा शर्त की अवहेलना प्रति बिना किसी विशेष प्रतिकूल प्रभाव के उसके द्वारा ऐसी हरकत की जाती है अथवा उसमें पायी जाती है, यदि पट्टाधारी पूर्ण सम्पत्ति के बजाय आंशिक रूप में इसका हस्तांतरण करता है, खाली करता है, बंधक रखता है या सौंपता है या पट्टेदार से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त किए बगैर पूर आवंटित परिसर का हस्तांतरण करता है, खाली करता है, बंधक रखता है या सौंपता है जैसा कि इस समझौते में पहले ही धारा 2(ए) के अपवाद में वर्णित है या यदि पट्टाधारी पूर्व वर्णित शर्त के अनुरूप भवन निर्माण प्रारम्भ करने में एवं पूर्ण करने में असमर्थ रहता है या पट्टेदार का किराया बाकी रहता है या धारा (1) में वर्णित किश्त का कोई हिस्सा, धारा (2) में वर्णित सेवा गुल्क बकाया रहता है और इनके जमा करने की अवधि की समाप्ति के 90 दिन बाद तक पट्टेदार को उनकी अदायगी नहीं होती है या यदि पट्टाधारी को अथवा उन व्यक्तियों को जो शर्तों के प्रति उत्तरदायी हैं, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या यदि पहले बताए गये मुताबिक इस समझौते का निर्णय किया जाता है तो धारा 2(ए) के प्रावधानों के अनसार पट्टेदार को यह अधिकार होगा (इस समझौते में किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति में किसी अन्य कार्यवाही के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना) कि न्यायालय की मदद लिये बगैर आवंटित भूमि के किसी हिस्से पर या पूरी भूमियों के द्वारा पट्टाधारी के द्वारा दिये गये स्थान पट्टेदार के द्वारा जब्त कर लिए जाए गे और इन प्रस्तुतियों के द्वारा पट्टाधारी के द्वारा दिये गये स्थान पट्टेदार के द्वारा जब्त कर लिए जाए गे और अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना पट्टेदार पट्टाधारी से सारा रूपया 19/- सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से वसूल करेगा और पट्टाधारी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होगा।





यह कि पट्टाधारी को सदैव यह छूट होगी कि सारी बकाया रकम किशत और उस तारीख तक का पट्टा किराया समस्त पौर कर एवं दूसरे कर और सेवा शुल्क जैसे संरक्षण शुल्क सहित उस अवधि तक निर्धारित अन्य शुल्क तथा समस्त क्षतिपूर्ति और पट्टेदार के बाकी रकमों को चुकता कर आवंटित परिसर से अपने सारे भवन एवं रचना कार्य में लगे हुए सामान तथा दूसरी वस्तुएँ ले जाए। आवंटित परिसर से सारी वस्तुएँ पट्टाधारी को पट्टेदार के निर्णय के तीन महीने के अन्दर हटा लेने होंगे। यदि पट्टाधारी ऐसा करने में अक्षम हुआ तो आवंटित परिसर का भवन एवं अन्य निर्माण कार्य तथा सामानों पर पट्टेदार का हक होगा और पट्टाधारी को इस दावे का कोई अधिकार नहीं होगा कि वह पट्टेदार से उस समय तक जमा किये गए अपने रूपयों की मांग करे या आवंटित भूमि पर की अपनी संरचना अथवा सामानों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करे।

यह कि पुनर्प्रवेश एवं निर्णय का यह अधिकार लागू नहीं होगा यदि आवंटित परिसर में स्थापित उद्योग को राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम, आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., ए.आई.सी.या अनुसुचित बैंक के द्वारा वित्त प्रदान किया गया हो और उपरोक्त वित्तीय संस्था पट्टेदार द्वारा समझौते के भंग होने की सूचना पाने के 90 दिनों के अन्दर इसका निदान प्रस्तुत कर दें।

(ग्रा) समझौतों/शर्तों के भंग होने के सम्बन्ध में समस्त कानूनी कार्यवाहियां जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जा सकेंगे, अन्यत्र कहीं भी नहीं।

(इ) तत्काल आवंटित परिसर पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी के भंग होने के कारण यदि पट्टेदार को किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ा तो पट्टेदार को इसे पट्टाधारी से वसूल करने का हक होगा।

(ई) यदि पट्टेदार की ओर से किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से युक्त पावती सहित रजिस्ट्री द्वारा कोई नोटिस पट्टाधारी के नाम भेजा जाता है तो उसे यथेष्ट रूप से कार्य सम्पादन का हेतु माना जायेगा और जिस समय वह रजिस्ट्री पत्र सामान्य तरीके से वितरित कर दिया जायेगा और यदि वह पट्टाधारी की अस्वीकृति अथवा किसी अन्य कारण से लौट आयेगा तो भी उसे आवश्यक सेवाओं की पूर्णता मान लिया जायेगा। पट्टेदार के द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को उपरोक्त विधि से ही सम्पादित किया जायेगा।

(उ) औद्योगिक ईकाई के व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू कर देने के बाद पट्टाधारी के द्वारा इन्डस्ट्रील फैब्रिकेशन करने पर आवंटन के आवेदन के साथ जमा जमानती रकम लौटायी जायेगी।

(क) पट्टा समझौता में वर्णित किसी भी नियम का किसी भी समय उल्लंघन हाने पर जमानत की रकम (राशि) जब्त मानी जाएगी। Rs. 1000/-

(ए) इस पट्टा समझौता में वर्णित अधिकारों का प्रयोग राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल फैब्रिकेशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. के प्रबन्ध निदेशक अथवा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा किया जायेगा।

यह कि उक्त "प्रबन्ध निदेशक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे प्रबन्ध निदेशक के समान कार्यों के अधिकारों के साथ पट्टेदार नियुक्त करता है।



समाहर्ता (कलेक्टर) के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पूर्ण से विचार के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जहां पर पट्टे पर दी गई भूमि स्थित है। इस प्रकार के पंच (न्यायाधीश) का फैसला पाठियों के लिए बन्धनकारी होगा।

(ओ) इस समझौते के लिए टिकट एवं पंजीयन शुल्क के खर्चे पट्टाधारी के द्वारा वहन किए जाएंगे।
एतददाया चरमदीद रूप में पाठियों ने आज, सन् उन्नीस सौ के मास की तारीख
..... को इस नियमित लेख को प्रस्तुत किया।

पट्टा समझौता रामालय 4,93,96/-
पट्टा रुपाय 5 रुपय 50/-
पट्टा लिखा है।

कृते

23/4/87

हस्ताक्षर

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट
एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.

गवाहः

नाम : Sonam Suxemi नाम : पट्टा :
पट्टा ! C/o MR A. K. Suxemi पता :
Maharao Mori ALWAR

पट्टाधारी MODI CHAMPION LTD.

[Y.P. GULATI]
General Manager (Works)

vijay Kumar Singh
क्रमांक 3, Manu Maru
housing Board, Alwar.



(3)

18/95 2319/87

माज विनेक

समय

2319/87

श्री अशोक परीलोज ४० श्री हुधीराज गुलाई
उपर्युक्त अद्वाली नंगड़ ३४ लाठी राजा
मेर समाज ३८८२

साँचे

रजिस्टर ५००-००

२०-००

१-००

१-००

बोग

५२२-००

वप विवरण

वप विवरण

वप विवरण

१ श्री महापाल परीलोज गुलाई जून ३८८२
जोटी विवाह भूमि अद्वाली नंगड़
२ श्री ललालाल रामदास त्रिपुरा
लालाली अमीरपुरा R.I.C.Ltd. कानपुर
पठ्ठनाली ५४३७५८ दावन करना
दीकार विधा/प्रतिवक्ता
दोष ददालत एवं
दोष विधालय।



श्री उकाश पाठ त्रिपुरा साँचे श्री संगीप
जन अन्तर्गत अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी
२१-३ घाटीगंगा अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी
उत्तीर्ण अंग्रेजी प्रवेश साँचे
ग्रामीण अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी
महावीर नगर त्रिपुरा

विवरण

Asst. Regional Manager
P. I. I. CO. LTD.
M. I. I. KWAR

श्रीमान् निला देवीक डायवर के आदेश क्रमांक 1883-85 फ़ॉलो 12/88
के सन्दर्भ में पत्रा लिखा गया। ६००/४

पत्र दिनांक २१ अक्टूबर १२ अ. ८८

दी चुक्क रस्ता १००० के बिल १५०

पूर्व रस्ता १५-१६ रस्ता २५६०

दूसरा रस्ता १८८० रस्ता ३०१ दी बिल

इसका एक रस्ता ३७२

दूसरा रस्ता ३७२

दी बिल रस्ता ३७२

पत्र दिनांक २१ अक्टूबर १२ अ. ८८

पंजीयन दी चुक्क
रामगढ़ (लखनऊ)

२३. ९. ८८

१

५०४

३७

३८

१३७।

२०३ = ११९. १३८

✓
१३८

